

पंजीयन क्रमांक... 1215/12...

दिनांक... 01-08-2012...

डिस्पेच नं. .... 1182 .....

दिनांक... 01-08-2012 .....

प्रपत्र (फार्म) संख्या-7

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) प्रमाण-पत्र



सत्यमेव जयते


कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएँ राजस्थान, जयपुर

श्री मोहम्मद गोशाला सुजियो की दागी  
ग्राम चाँधन पोस्ट चाँधन तहसील जसलमेर  
जिला जसलमेर के सम्बन्ध में।

चूंकि श्री श्री वचल रवौ (अधिका) न्यासी (ट्रस्टी) गोशाला

श्री मोहम्मद गोशाला ने राजस्थान गोशाला

अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गोशाला के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं चूंकि आवश्यक जांच पड़ताल कर लेने के पश्चात् मैं सन्तुष्ट हो गया हूँ, कि आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही है, तथा आवेदन-पत्र में दिये गये विवरण सत्य है, अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा 3 के अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गोशाला पंजीयत (रजिस्टर) करली गई है।



आज दिनांक 01/08/12

माह अगस्त

वर्ष 2012

मोहम्मद सुजियो की दागी

पंजीयक (रजिस्ट्रार) एवम् उपनिवेशक गोशाला, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार



## रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र


क्रमांक.....-52/जैसल/2006-2007..

यह प्रमाणित किया जाता है कि सुजिया सिन्धारन  
संस्थान सुजियों की दाणी जिला जैसलमेर का  
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम  
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज  
दिनांक.....इकबीस.....माह.....दिसम्बर.....सन् दो हजार.....को  
जैसलमेर में दिया गया ।



रजिस्ट्रार संस्थाएं  
जैसलमेर

  
अध्यक्ष  
मोहम्मद गौशाता सुजियों की दाणी  
चांधन